उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

विज्ञापन संख्या- 11-परीक्षा/2024

स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/11

विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि- **14-10-2024**

ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि- **28-10-2024**

ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा /आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि- **27-11-2024**

शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि- **04-12-2024**

विशेष कथन- उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27-11-2024 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन/शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा, जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 27-11-2024 तक अथवा उसके पश्चात विलम्बतम 07 दिवस के अन्दर अर्थात दिनांक 04-12-2024 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के **विज्ञापन संख्या-11-परीक्षा/2024, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/11** के अंतर्गत **परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ** के नियंत्रणाधीन **स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)** के **4892 पद (सामान्य चयन)** व **380 पद (विशेष चयन) सहित कुल रिक्त 5272 पदों** पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/11 हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 (Preliminary Eligibility Test-PET-2023) के स्कोर के आधार पर की जाएगी, अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 (Preliminary Eligibility Test- PET-2023) में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड (वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ) जारी किया गया है। प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में वास्तविक (Absolute) स्कोर अथवा नार्मलाइज़्ड स्कोर में शून्य या उससे कम / नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन (Under Investigation-UI) व औपबन्धिक (Provisional) श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबन्धिक रूप से अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्टिंग व चयन संबन्धी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम / निर्णय के अधीन होगी।

1- ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना– इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली (Online Application System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **upsssc.gov.in** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

2- आवेदन की प्रक्रिया-

अभ्यर्थी, आयोग की वेबसाइट **upsssc.gov.in** के **Homepage** पर **Live Advertisement Segment** के अंतर्गत **संबन्धित विज्ञापन पर क्लिक कर** उक्त विज्ञापन को **Download/View** कर सकते हैं। **अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं।** आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबन्धित दिशा-निर्देश नीचे दिये जा रहे हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) को सावधानीपूर्वक पढ़कर भलीभांति समझ लें।

2.1- **अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।**

2.2- **अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि (27-11-2024) तक सम्बन्धित आवश्यक अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हता/ अर्हताएं तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र धारित (Acquire/ Possess) करना अनिवार्य है।**

2.3- **आरक्षण / आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा।**

2.4- **जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2024 से 27-11-2024 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। (कृपया विज्ञापन के प्रस्तर 11.14 का अवलोकन करने का कष्ट करें)।**

2.5- विज्ञापित पद के लिए केवल एक ही आवेदन करना है।

आवेदन प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश

2.6- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण/ लॉगिन (Applicant Authentication/Login Through PET Registration Number)- अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 (Preliminary Eligibility Test-PET-2023) के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु दो विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं-

I. **व्यक्तिगत विवरण के साथ (Through Personal Details)**-अभ्यर्थी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने सम्बन्धी विवरण (Domicile) व श्रेणी (Category) सम्बन्धी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं।

II. **ओ0टी0पी0 के माध्यम से (Through O.T.P.)-** अभ्यर्थी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ ईमेल पर प्रेषित किये गये O.T.P. के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं।

2.7 आवेदन (Application)-

I. लॉगिन करने के उपरान्त इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में दर्ज की गयी अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे- नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने सम्बन्धी विवरण, श्रेणी, EWS, क्षैतिज आरक्षण से संबन्धित विवरण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, सम्पर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे।

II. इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) से सम्बन्धित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबन्ध में Yes/No विकल्प का चयन करने के उपरान्त बोर्ड/संस्था/ विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट/ रोल नं0, अर्हता सम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक संबन्धी विवरण आदि अंकित किया जाना होगा।

III. अभ्यर्थी को उपर्युक्त सूचनाएं भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर **"Enter Verification Code"** में दिखाये गये वेरिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करने के पश्चात **"सबमिट"** बटन पर क्लिक करना होगा। फार्म सबमिट होते ही **"अभ्यर्थी का आवेदन पत्र"** प्रदर्शित होगा, जिसमें 11 अंको का रजिस्ट्रेशन नम्बर सहित अन्य विवरण होगा। अभ्यर्थी इसकी एक प्रति मुद्रित कर अपने पास सुरक्षित रखें, जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करना होगा।

2.8 फोटो तथा हस्ताक्षर (Photo and Signature)- इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में अपलोड की गयी फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।अभ्यर्थी, फोटो तथा हस्ताक्षर View करने के उपरान्त **"Continue"** बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जायेंगे।

2.9 अन्य विवरण (Other Details)- इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो) के संबन्ध में Yes/ No में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा।

घोषणा (Declaration)

वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा है कि घोषणापत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा-पत्र से सहमत हो तो सभी बिन्दुओं को Tick करते हुए नीचे दिये गये वेरीफिकेशन कोड को दर्ज कर **Save & Proceed** करें।

अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में दर्ज विवरण तथा इस आवेदन के समय अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता संबन्धी अंकित की गयी समस्त प्रविष्टियों/ विवरणों को प्रीव्यू (Preview) पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। सहमति की दशा में अभ्यर्थी द्वारा **Proceed to Payment of Fee & Final Submission** पर क्लिक कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी।

2.10- फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment and Reconciliation & Application Form Submission)

I- अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान **Credit card/Debit card/ Internet Banking/ UPI या SBI** के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये तत्काल कर सकते हैं। **अन्य किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता।** शुल्क का सफल भुगतान होते ही **Payment Acknowledgment Receipt (PAR)** प्रदर्शित होगी जिसमें **Payment** का विवरण अंकित होगा। **इसी पृष्ठ पर नीचे की ओर दाहिनी तरफ Proceed For Final Submission बटन प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से Proceed For Final Submission बटन क्लिक करते हुए अपने आवेदन को अन्तिम रूप से Submit करना होगा। अभ्यर्थी Proceed For Final Submission बटन को क्लिक करने के उपरान्त ही अपने आवेदन का Printout ले सकते हैं।**

II- यदि अभ्यर्थी द्वारा **Credit card/Debit card/ Internet Banking/ UPI** द्वारा निर्धारित शुल्क का सफल भुगतान किया जा चुका है, परन्तु शुल्क का समायोजन न हो पाने के कारण अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसे अभ्यर्थी सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए विकल्प **"Update Your Transaction ID by Double Verification"** पर जाकर लॉगिन करेंगे एवं **Verify Transaction ID** बटन को क्लिक करेंगे। **Verify Transaction ID** बटन को क्लिक करने के उपरान्त **Payment Acknowledgment Receipt (PAR)** प्रदर्शित होगी जिसमें **Payment** का विवरण अंकित होगा। **इसी पृष्ठ पर नीचे की ओर दाहिनी तरफ Proceed For Final Submission बटन प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से Proceed For Final Submission बटन क्लिक करते हुए अपने आवेदन को अन्तिम रूप से Submit करना होगा। अभ्यर्थी Proceed For Final Submission बटन को क्लिक करने के उपरान्त ही अपने आवेदन का Printout ले सकते हैं।**

III- ई–चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को SBI का ई-चालान download कर SBI की किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID By Double Verification Mode** के माध्यम से ई-चालान का विवरण भर कर शुल्क का समायोजन किया जाएगा।

IV- अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अपने शुल्क का समायोजन कर अपने आवेदन पत्र का Printout अवश्य निकाल लें। निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन का Printout नहीं लिया जा सकेगा। **अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के सफल भुगतान एवं समायोजन के उपरान्त ही आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट किया जा सकेगा।**

V- **यदि किसी तकनीकी समस्या व अन्य किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पा रहे हैं तो वह सर्वप्रथम सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए आयोग की वेबसाइट के Homepage पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए विकल्प "Update Your Transaction ID by Double Verification" पर जाकर Verify Transaction ID बटन को क्लिक करेंगे। तदुपरान्त आयोग की वेबसाइट के Homepage पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए Application Fee Deposition विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।**

VI. अभ्यर्थी द्वारा उपर्युक्त के अतिरिक्त **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

VII. अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। शुल्क का स्टेटस Pending होने पर अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID By Double Verification Mode** के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरान्त तुरन्त फार्म का अगला भाग पूर्ण कर सकते हैं।

VIII - अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पायेंगे और न ही अपना आवेदन अन्तिम रूप से सबमिट कर सकेंगे।

IX. आवेदन शुल्क – अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दी गयी तालिका में अंकित है। मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये जाने की दशा में शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क अलग से देय होगा, जिसका भुगतान मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाना होगा।

क्र० सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	शुल्क योग (आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क)
1	अनारक्षित	00	25.00	25.00
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	25.00	25.00
3	अनुसूचित जाति	00	25.00	25.00
4	अनुसूचित जनजाति	00	25.00	25.00

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।
- **मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क (जैसा कि आयोग/शासन द्वारा निर्धारित किया जाए) का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा।**

2.11- फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form)- अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शुल्क जमा करने के उपरान्त अपना आवेदन पत्र अन्तिम रूप से सबमिट करते हुए उसका प्रिन्ट आउट अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन कर अपना आवेदन पत्र प्रिंट कर सकते हैं। **अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा/परीक्षण के समय इस फार्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।**

जैसा कि विज्ञापन के प्रस्तर-2.10 (II) में स्पष्ट किया जा चुका है, यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर जाकर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए लिंक **"Update Your Transaction ID by Double Verification"** पर क्लिक कर शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने शुल्क का समायोजन कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त कर सकते हैं।

3- आवेदन पत्र में संशोधन

I. अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट के होमपेज पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरान्त अभ्यर्थी को संबन्धित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित **Modify Application** बटन पर क्लिक कर वेरीफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। तदुपरान्त अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ Email पर एक OTP (One Time Password) जायेगा। इस OTP को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फार्म प्रदर्शित होगा।

II. अभ्यर्थी द्वारा अपने आवदेन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी-

a. नाम में वर्तनी की गलती।

b. पिता/ पति के नाम में वर्तनी की गलती।

c. पत्राचार का पता।

d. अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे- E.W.S. एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी (D.F.F, Ex. Service Man, P.H., उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि)।

e. जाति की श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)।

f. लिंग (जेन्डर)।

g. आवेदन में अनिवार्य/अधिमानी अर्हता सम्बन्धी दर्ज किया गया विवरण।

III. आवेदन पत्र में अनुमन्य संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 27-11-2024 तक ही किया जा सकता है। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/ संशोधन हेतु पृथक से कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4- पदों का विवरण-

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1/2020/1602/47-का-3-2019-13/7/2006, दिनांक 28-01-2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित/ उपलब्ध कराये जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः सम्बन्धित विभाग की है।

इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पद की संख्या व विभिन्न श्रेणियों/ उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है।

सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के क्षैतिज व लम्बवत आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों / नियमों/ शासनादेशों में निर्धारित /नीति निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन /परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है।

सारिणी-1

कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लम्बवत आरक्षण का विवरण

क्र. सं	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन बैन्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
1	परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) (सामान्य चयन)	लेवल-3, वेतनमान (न्यूनतम): 21700, वेतनमान (अधिकतम) : 69100	2399	435	10	1559	489	4892	स्थायी व अस्थायी
2	परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) (विशेष चयन)	लेवल-3, वेतनमान (न्यूनतम): 21700, वेतनमान (अधिकतम) : 69100	-	00	380	00	-	380	स्थायी व अस्थायी
कुल पद				**2399**	**435**	**390**	**1559**	**489**	**5272**	

सारिणी-2

कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण

क्षैतिज आरक्षण का विवरण												
क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तताः, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(ड़) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तताः, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तताः के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
1	परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) (सामान्य चयन)	97	परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) पद हेतु दिव्यांगजन की उपश्रेणियों का चिन्हांकन नहीं किया गया है।					244	शतप्रतिशत महिला संवर्ग का पद है।	97
2	परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) (विशेष चयन)	07	परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) पद हेतु दिव्यांगजन की उपश्रेणियों का चिन्हांकन नहीं किया गया है।					19	शतप्रतिशत महिला संवर्ग का पद है।	07

5- आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान –

5.1- उ० प्र० की अनुसूचित जातियों, उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र० के अन्य पिछड़े वर्गो एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/ विभाग से प्राप्त अधियाचन के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

5.2- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section- EWS) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन , कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय रुपए 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (EWS) अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के आवेदकों द्वारा उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

5.3- **स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (Dependant of Freedom Fighter-DFF) तथा भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।**

5.4- उत्तर प्रदेश शासन दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021/78/99 टी०सी0, दिनांक 30 जुलाई, 2021, शासनादेश संख्या-02/2022/I/246279/2022 /File No.65-3099/58/2022-3, दिनांक 09-12-2022 एवं शासनादेश संख्या-3/2024/756713/2024/65-3-2024/65-3099/58/2022, दिनांक 30-09-2024 के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगता की चिन्हांकित श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु निर्धारित आरक्षण अनुमन्य होगा। सूच्य है कि परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) पद हेतु दिव्यांगजन की उपश्रेणियों का चिन्हांकन नहीं किया गया है।

5.5- महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बंधित है। **उ० प्र० की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।**

5.6- उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 सं0-02/2022/3/47/का-2/2022 की अधिसूचना संख्या-3/47/का-2/2022, दिनांक 07-01-2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 के प्राविधानानुसार **उत्कृष्ट खिलाड़ियों (Outstanding Sportsperson)** हेतु 02 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य होगा।

6 - अर्हता-

अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-

उत्तर प्रदेश चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरूष और महिला) अराजपत्रित सेवा नियमावली, 2018 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में **स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)** के पद पर सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है:-

(क) **अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो**

(ख) **अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के सन्नियमों के अनुसार एक वर्ष छः माह/दो वर्ष का सहायक नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज (ए0एन0एम0) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (प्रसूति से संबंधित छः माह का प्रशिक्षण सहित) सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया हो और जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइफ काउन्सिल, लखनऊ में विधिवत् पंजीकृत हो।**

<u>अधिमानी अर्हता-</u> उत्तर प्रदेश चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरूष और महिला) अराजपत्रित सेवा नियमावली, 2018 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने-

(एक) **प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या**

(दो) **राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**

<u>नोटः</u>-1- उत्तर प्रदेश चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरूष और महिला) अराजपत्रित सेवा नियमावली, 2018 के भाग-5 के नियम 15 के अनुसारः-

(क) स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पदों पर सीधी भर्ती, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के अनुसरण में की जायेगी;

(ख) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत व्यक्ति को, अधिकतम पंद्रह अंको के अध्यधीन निम्नलिखित रीति में अधिमानी अंक प्रदान किये जायेंगेः-

(एक) संविदा के आधार पर पूर्ण की गई सेवा के प्रथम वर्ष के लिये ......तीन अंक

(दो) संविदा के आधार पर की गई सेवा के अगले और सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए ...... प्रत्येक वर्ष हेतु तीन अंक

(ग) खंड (ख) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अधिमानी अंको को, जहां पर लागू हो, आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको में जोड़ दिया जायेगा।

<u>नोटः</u>-2- नियमावली के नियम 15 (ख) के अनुसार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत अभ्यर्थी को प्राविधानित अधिमानी अंक प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश के जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

<u>7- आयु –</u>

उत्तर प्रदेश चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरूष और महिला) अराजपत्रित सेवा नियमावली, 2018 के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि **अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और चालीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की होः**

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणी के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थियों, जो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत हो और इस नियमावली के नियम-8(2) में विहित अर्हता धारण करते हों की ऊपरी आयु सीमा, सीधी भर्ती के लिए उन्हें पात्रता योग्य बनाये जाने हेतु अधिकतम पांच वर्ष के अध्यधीन उतनी पूर्ण की गयी सेवा वर्षों, जितनी वे संविदा के आधार पर किये हो, तक अधिक होगी।

8- चयन का आधार -

प्रश्नगत पदों पर चयन उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-32/2015/857/47-का-2015-13/19/2015, दिनांक 11-05-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह-ग के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति एवं प्रकिया) नियमावली 2015, उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक- 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक 20-11-2020 द्वारा अपनायी गयी नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार (जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में सम्मिलित हुआ हो) तथा उत्तर प्रदेश चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरूष और महिला) अराजपत्रित सेवा नियमावली, 2018 के अनुसार की जायेगी, जिसके अनुसार चयन का आधार लिखित परीक्षा है।

9- लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम-

विज्ञापन संख्या-11-परीक्षा/2024, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/11 के अंतर्गत **स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)** के रिक्त पदों पर चयन हेतु कार्मिक अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1339/47-का-3-2021, दिनांक 03-11-2021 द्वारा अनुमोदित लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञापन के साथ संलग्न है। प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा की तिथि के सम्बन्ध में यथासमय पृथक से सूचित किया जायेगा।

10-लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट -

विज्ञापन संख्या-11-परीक्षा/2024, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/11 के अंतर्गत **स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)** के रिक्त पदों पर चयन हेतु **लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों, अंतिम कटऑफ अंक/परसेंटाइल स्कोर (दशमलव के 02 स्थान तक) धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए, को मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किया जाएगा।**

यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों/ दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी।

11-अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

11.01- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

11.02- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।

11.03- अभ्यर्थी, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।

11.04- भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) (जो आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 27-11-2024 तक सेवा निवृत्त हो चुके हों) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।

11.05- उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11.06- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री, स्वयं उसे अथवा उसके परिवार को सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करने की दशा में ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसके जाति प्रमाण पत्र में उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, को इस आरक्षण का लाभ उसके पिता पक्ष की ओर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही अनुमन्य होगा।

11.07- ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 यथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के अनुरूप प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।

11.08- उत्तर प्रदेश चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरूष और महिला) अराजपत्रित सेवा नियमावली, 2018 के भाग-5 के नियम 15 (ख) के अनुसार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत अभ्यर्थी को प्राविधानित अधिमानी अंक प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश के जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

11.09- जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा।

11.10- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ०प्र०शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-2-ई.एम. /2001-का-4-2013,दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु-सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

11.11- अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

11.12- उत्तर प्रदेश के स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं।

11.13- महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थायों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त

आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा । उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लम्बवत श्रेणी में उन्ही श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बंधित है, इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा ।

11.14- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन , कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय रुपए 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.S) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (E.W.S) अनुमन्य होगा । जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनसे अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2024 से 27-11-2024 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें । इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ।

11.15- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी । जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा ।

11.16- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति को मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना होगा ।

11.17- परीक्षा की तिथि, समय तथा परीक्षा केन्द्र आदि के संबंध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जायेगी । अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी । परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा । अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अनावश्यक पत्राचार न करें ।

11.18- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत/मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा ।

11.19- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है ।

11.20- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और उसके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता धारित नहीं की जाती थी अथवा तत्सम्बन्धित प्रमाण पत्र धारित नहीं किया जाता था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उक्त स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा ।

11.21- कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने/कराने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

11.22- आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नही करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है अतः सभी परीक्षार्थियों/ अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से संबन्धित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहें।

11.23- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करे जब वह संतुष्ट हो जाये कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह है।

11.24- किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/ चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) करने का अधिकार आयोग का होगा।

11.25- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा आयोग की वेबसाइट http://upsssc.gov.in के माध्यम से अथवा किसी भी कार्य दिवस में आयोग कार्यालय में संपर्क कर अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

11.26- स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर नियुक्ति हेतु ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो : परन्तु सरकार किसी महिला को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

11.27- अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अन्तिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।

11.28- अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं है एवं इस संबन्ध में आयोग से किया जाने वाला पत्राचार मान्य नहीं होगा।

14/10/2024

सचिव,
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

विज्ञापन संख्या-11-परीक्षा/2024, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/11 से सम्बन्धित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

(106)

File No.47-3099/41/2021- -3-

370 ... 21
07-11-2021

संख्या-1339 /47-का-3-2021-

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

सचिव,
उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 03 नवम्बर, 2021

विषय:- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 द्वारा मुख्य परीक्षा के अन्तर्गत प्रस्तावित स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पदों पर चयन किये जाने हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-155/34/चार/आयोग/2020-टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पदों पर चयन किये जाने हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना दिनांक 11.05.2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति एवं प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के नियम-8(1) के प्राविधानानुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पदों पर चयन किये जाने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार निम्नवत् परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम पर स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

परीक्षा योजना

विषय	प्रश्नों की संख्या	निर्धारित कुल अंक	समयावधि
विषयगत ज्ञान	100	100	दो घंटा(120 मिनट)

नोट-लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समयावधि दो घंटा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक (निगेटिव मार्किंग) दिए जायेंगे, जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का ¼ अर्थात 25 प्रतिशत अंक होंगे।

पाठ्यक्रम

विषयगत ज्ञान-

1. - स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व
2. - भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का वाह्य रूप एवं योजनाएँ।
3. - एससी, पीएचसी, सीएससी और जिला अस्पताल का संगठन।
4. - स्वास्थ्य संस्थाएं: अंतर्राष्ट्रीय WHO, UNICEF, UNFPA, UNDPA, विश्व बैंक, FAO, DANIDA, यूरोपीय आयोग। रेड क्रॉस, अमेरिकी सहायता, यूनेस्को। कोलंबो प्लान, आईएलओ, केयर आदि राष्ट्रीय: इंडियन रेड क्रॉस,इण्डियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आदि।
5. - स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य एवं दायित्व।
6. - एएनएम के लिए आचार संहिता।
7. - समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका।
8. - स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता,पोषण एवं बीमारी का आपसी सम्बन्ध।
9. - खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण।
10.- विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार।
11.- विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग और महिलाओं में पोषणजनित रक्ताल्पता।

12-पाँच वर्ष तक के बच्चों का पोषण, पोषण में एएनएम/एफएचडब्ल्यू/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका।

13-मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली और उनके कार्य।

14- शरीर की स्वच्छता।

15-मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा।

16-संक्रामक रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सामान्य उपाय।

17-संक्रामक रोग: लक्षण, बचाव और उपचार: डिप्थीरिया, काली खांसी,टिटनेस, पोलियो, खसरा और तपेदिक, चिकन पॉक्स, कण्ठमाला(गलसुआ), रूबेला, आंत्र ज वर, हेपेटाइटिस, रेबीज, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया,काला-अजार, ट्रेकोमा, नेत्रश्लेष मलाशोथ, खुजली, एसटीडी और एचआईवी/एड्स एन्सेफलाइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस, तीव्र श्वसन संक्रमण, दस्त रोग, कृमि संक्रमण, कुष्ठ रोग।

18-समुदाय में बीमारों की देखभाल: इतिहास लेना,शारीरिक परीक्षण: महत्वपूर्ण लक्षण।

19- ज्वर: महत्वपूर्ण संकेत: तापमान,नाड़ी,श्वसन, रक्तचाप।

20-स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका एवं घरेलू उपचार।

21-दवाओं का वर्गीकरण।

22-प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता।

23-सामान्य चोटें और बीमारियां।

24-कट और घाव: प्रकार, सिद्धांत और प्राथमिक चिकित्सा देखभाल।

25-शिशुओं और बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक।

26-बच्चों का शारीरिक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास।
27-दुर्घटनाएं: कारण, सावधानियां और रोकथाम।
28-विशेष स्तनपान।
29-विद्यालय स्वास्थ्य : उद्देश्य,समस्याएं और कार्यक्रम एवं विद्यालय का वातावरण।
30-किशोरों के लिए यौन शिक्षा।
31-मासिक चक्र और उसके दौरान स्वच्छता।
32-किशोरावस्था में गर्भधारण और गर्भपात संबंधित जानकारी।
33-भ्रूण और नाल।
34-सामान्य गर्भावस्था: गर्भावस्था के चिन्ह और लक्षण।
35-सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल।
36-नवजात की देखभाल।
37-गर्भावस्था की असामान्यताएं।
38-गर्भपात: गर्भपात के प्रकार एवं गर्भपात के कारण।

1. Determinants of health.
2. Overview of health problems of communities in India.
3. Organiation of SC, PHC, CMC and district hospital.
4. Health agencies : international : WHO, UNICEF, UNFPA, UNDPA, World Bank FAO, DANIDA, European commission. Red Cross, US aid, UNESCO. Colombo Plan, ILO, CARE etc. National: Indian Red Cross, Indian Council for Child welfare, Family planning association of India etc.
5. Role and Responsibilities of ANM/FHW.
6. Code of ethics for ANM.
7. Role of Counsellor & Role of ANM/Female Health worker as counselor.
8. Importance of nutrition in healthe and sickness.
9. Classification of food and their nutritive value.
10. Balanced diet for different age group.
11. Vitamin and mineral deficiencies: Nutritional anaemia in women.
12. Under five nutrition,the role of ANM's /FHW/AWWs in supplementary food.
13. The Human body Stucture and body systems and their function.
14. Hygiene of the body.
15. Concept of mental health.
16. Control and prevention of communicable disease,General mearures.
17. Communicable deseases: Signs,Symptoms, care and prevention of the fllowing: diphtheria,pertussis, tetanus, poliomyelitis, measles and tuberculosis,Chicken pox, mump, rubella,enteric fever, hepatitis, rabies, malaria, dengue. filarial, kala-azar,trachona,conjunctivitis,scabies.STDs and HIV/AIDS, Encephalitis,Leptospriosis, Acute respiratory infections, Diarrhoeal diseases Worm infestations,Leprosy.
18. Care of the sick in the communitiy: taking history,Physical examination:

Vital sings.
19.Fever:Vital sings: Temperature,pulse,respiration,blood pressure.
20.Home care remedies & Integrated accepted practices of AYUSH
21.Classification of drugs forms.
22.Need of First Aid.
23.Minor Injuries and ailment.
24.Cuts and wounds:types,principles and first aid care.
25.Factors affecting growth and development in infants and children
26.Physical psychological and social development of children.
27.Accidents: causes,precautions na prevention.
28.Exclusive Breast feeding.
29.School healthe:Objectives,problems and programmes, Environment of school.
30.Sex education for adolescents.
31.Menstruation and menstrual hygiene.
32.Adolescent girls: pregnancy and abortion.
33.Foetus and placenta.
34.Normal pregnancy: Signs and symptoms of pregnancy.
35.Care during normal labour.
36.Care of new-born.
37.Abnormalities of pregnancy.
38.Abortion: types of abortion,cause of abortion.

भवदीय,

Signed by राजेश प्रताप सिंह
Date: 03-11-2021 13:54:57
Reason: Approved
(राजेश प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

परिशिष्ट

<u>उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र</u>

जिला.................. जारी

दिनांक................

तहसील.................

आवेदन क्रमांक...........

प्रमाण पत्र क्रमांक...........

प्रमाणित किया जाता है कि.............. पुत्र/पुत्री................. माता का नाम.............................. निवासी.................ग्राम.............तहसील..........जिला..................उत्तर प्रदेश राज्य की........................... जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान अनुसूचित जाति आदेश, १९५० (जैसा कि समय समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश, १९६७ के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रारूप मे मान्यता दी गयी है।

...........................तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.......................... ग्राम-तहसील...................... में सामान्यता रहता हैं

क्यू आर कोड

जारी कर्ता केन्द्र.................

पद......................

स्थान..................

दिनांक................

सक्षम अधिकारी/ तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित............

....

दिनांक................................

परिशिष्ट

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला.......................... जारी दिनांक...............

तहसील.........................

आवेदन क्रमांक..............

प्रमाण पत्र क्रमांक...........

प्रमाणित किया जाता है कि.............. पुत्र/पुत्री................ माता का नाम.............................. निवासी................ग्राम............तहसील..........जिला.................उत्तर प्रदेश राज्य की............................ जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान अनुसूचित जाति आदेश, १९५० (जैसा कि समय समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश, १९६७ के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रारूप मे मान्यता दी गयी है।

...........................तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.......................... ग्राम-तहसील...................... में सामान्यता रहता हैं

क्यू आर
कोड

जारी कर्ता केन्द्र................ सक्षम अधिकारी/ तहसीलदार

पद................................ डिजिटल हस्ताक्षरित...........

स्थान............................ ....

दिनांक............................ दिनांक...............................

परिशिष्ट

उत्तर प्रदेश के पिछडी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला........................... जारी

दिनांक...............

तहसील........................

आवेदन क्रमांक..............

प्रमाण पत्र क्रमांक...........

प्रमाणित किया जाता है कि.............. पुत्र/पुत्री................ माता का नाम............................ निवासी................ग्राम............तहसील.........जिला.................उत्तर प्रदेश राज्य की........................... जाति के व्यक्ति हैं, यह उत्तर प्रदेश लेक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि........................... पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, और अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एंव शासनादेश संख्या २२/१६/९२ टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षो की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं हैं तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ मे यथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।

क्यू आर
कोड

जारी कर्ता केन्द्र................

पद.................................

स्थान..............................

दिनांक.............................

सक्षम अधिकारी/ तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित...........

....

दिनांक...............................

(प्रपत्र- I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम..

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-.......................... दिनांक-.................................

वित्तीय वर्ष .... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी .... पुत्र/ पति/ पुत्री .... ग्राम/ कस्बा.. पोस्ट ऑफिस .... थाना .... तहसील .... जिला .... राज्य .... पिन कोड............................ के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पति नहीं है:-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/ श्रीमती/ कुमारी .... जाति .... के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फाटोग्राफ

हस्ताक्षर .... (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम ....

पदनाम ....

जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती---निवासी ग्राम-------- --तहसील---नगर-------------------------- जिला----------------------------------"उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993" के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) --------------------------------------पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) -------------------------------- --के आश्रित हैं।

स्थान-

दिनॉक-

हस्ताक्षर----------------

पूरा नाम-----------------

पदनाम-----------------

मुहर---------------------

जिलाधिकारी (सील)